प्रशासक, बी. एस. आर. टी. सी.

बनाम

रंजना माझी और अन्य

ज्लाई 17,2006

[अरिजीत पासायत..न्यायाधिपति और लोकेशवर सिंह पांटा न्यायाधिपति]

मोटर वाहन अधिनियम, 1980- धारा 166- क्षतिपूर्ति- दो पक्षों को समान शेयरों में प्रदत्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया- प्रथम पक्ष ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि बिना किसी नुकसान के पूरी राशि का भुगतान किया जाए। किसी भी कारण का संकेत देना- आयोजितः दूसरे पक्ष ने प्रदत्त राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के निर्देश को चुनौती नहीं दी, संक्षेप में, निर्देशों को स्वीकार कर लिया, इस प्रकार उच्च न्यायालय पहले पक्ष को मुआवजे के रूप में पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर एक नया मामला नहीं बना सका- इस प्रकार, मुआवजे की राशि दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से भुगतान की जाएगी।

एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप बी की मृत्यु हो गई जिसमें अपीलकर्तानिगम और प्रतिवादी संख्या 3-पुलिस विभाग से संबंधित वाहन शामिल
था। ट्रिब्यूनल ने दावा याचिकाओं का निपटारा किया गया, जिसमें निगम
और पुलिस विभाग द्वारा समान शेयरों में पुरस्कार राशि का भुगतान करने
के का निर्देश दिया गया ।अपीलकर्ता ने पुरस्कार की सत्यता पर सवाल
उठाते हुए अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को बरकरार रखा
लेकिन आदेश दिया की पुरस्कार की पूरी राशि अपीलकर्ता द्वारा भुगतान
की जाए, इसलिए वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई थी- पुलिस विभाग न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए इस निर्देश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए कि वह दी गई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस प्रकार उच्च न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता था कि अपीलकर्ता को दी गई पूरी राशि का भुगतान करना था क्योंकि न्यायालय भुगतान का निर्देश देने के लिए एक नया मामला नहीं बना सकता था न्यायालय द्वारा स्वयं प्रदत्त पूरी राशि में से इस तरह के निर्देश पारित किए गए और इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया-अपीलकर्ता निगम ने न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल उठाया कि उसने अपील को प्राथमिकता नहीं दी थी और संक्षेप में इस निर्देश को स्वीकार किया कि वह दी गई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जिसे

अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाना है ।[629-एफ एच ; 630-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 3000/2006

(दिनांक 11.4.2003 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एफ. एम. ए. सं.1178/2000 के निर्णय और आदेश से)

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता - इरशर्द अहमद।

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता- राणा एस. बिस्वास, सरला चंद्र, अविजीत भट्टाचार्जी, बिकाश कर गुप्ता और सौम्या कुंहू।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति अरिजीत पासायत

अनुमति दी गई।

इस अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के चौथे न्यायालय/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बर्दवान (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया जाना था।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

दो दावा आवेदनों को न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारण किया गया। जिस दुर्घटना में वासुदेव माझी की मृत्यु हुई, उसमें दो वाहन शामिल थे, एक अपीलार्थी निगम से संबंधित था जबिक दूसरा पश्चिम बंगाल के पुलिस विभाग से संबंधित था, रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नान्सार निर्देश दिया गयाः

"कि मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन में प्रतिद्वंदी पक्षों 1 और 2 के खिलाफ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करने और बाकी के खिलाफ एक पक्षीय प्रतिस्पर्धा की अनुमित नहीं है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई लागत नहीं। याचिकाकर्ता को रु.2,30,400 का पुरस्कार मिलता है। पुलिस अधीक्षक, बर्दवान, पुलिस जीप नं. डब्ल्यू. बी. पी-2655 और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बी एस आर टी सी है की सम्मानित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। आदेश के दिनों से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को समान शेयरों में रु. 2, 30,400/- की प्रदत्त राशि का

भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में 'अधिनियम') के संदर्भ में दायर दावा याचिका का निपटारा किया।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके न्यायाधिकरण के फैसले की सत्यता पर सवाल उठाया, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, उसी दुर्घटना से संबंधित दावा याचिकाएं पर फैसला सुनाया गया है। 2002 कि एफएमए सं. 1178 द्वारा भरी गई दो अपील में से एक जो उस अपील में विवाद का विषय है।

उच्च न्यायालय ने संक्षेप में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन निर्देश दिया कि दी गई पूरी राशि का भुगतान अपीलार्थी को करना होगा। अपील के समर्थन में -निगम के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निगम ने पुलिस अधीक्षक बर्दवान की पुरस्कार की शुद्धता पर सवाल उठाया था, जो दावा याचिका में उत्तरदाताओं में से एक थे, उन्होंने किसी अन्य अपील पसंद नहीं किया, दूसरे शब्दों में, उन्होंने न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार अपील के संदर्भ में दी गई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने के अपने दायित्व को स्वीकार किया, क्योंकि उक्त प्रतिवादी द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी । पुलिस अधीक्षक, बर्दवान उच्च न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता था कि अपीलार्थी को पूरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा । कोई कारण इंगित नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय ने क्यों सोचा कि पुलिस अधीक्षक बर्दवान का कोई दायित्व नहीं है।

जवाब में, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील-पुलिस अधीक्षक, बर्दवान ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अकेले अपीलकर्ता ही जिम्मेदार था, हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि इस निर्देश की शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए कोई अपील नहीं की गई थी कि दी गई राशि का 50 प्रतिशत पुलिस अधीक्षक, बर्दवान द्वारा भुगतान किया जाना था।

हम अपीलार्थी के विद्वान वकील की याचिका में सार पाते हैं कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई थी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कि वह दी गई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उच्च न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता था कि अपीलकर्ता को पूरी राशि का भुगतान करना था-अपीलकर्ता निगम ने न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल उठाया कि उच्च न्यायालय द्वारा दी

गई पूरी राशि के भुगतान का निर्देश देने के लिए एक नया मामला नहीं बना सकता था, प्रतिवादी संख्या 3 ने अपील नहीं की थी और संक्षेप में इस निर्देश को स्वीकार कर लिया था कि वह प्रदत्त राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उच्च न्यायालय ने अपने दम पर निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को दी गई पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि उच्च न्यायालय ने पुरस्कार की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि उच्च न्यायालय ने पुरस्कार की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं बताया है। उस विस्तार तक अपील की अनुमित दी जाने चाहिए, दी गई राशि का भुगतान अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस अधीक्षक- बर्दवान द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

एन. जे.

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।